

# राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)

'आत्मा भवन' जिला कृषि कार्यालय प्रांगण, सरायकेला – 833219

दूरभाष : 06597-234911, फ़ैक्स : 06597-234912

वेब साईट : www.atmaseraikella.org, ईमेल : atmaseraikella@yahoo.co.in

## कृषि यंत्रों के कय हेतु आवेदन – पत्र

सेवा में,

अनुमण्डल सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी,  
सह, परियोजना निदेशक, आत्मा सरायकेला  
जिला – सरायकेला-खरसावाँ।

**विषय :** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषक/कृषक के समूह के द्वारा ..... कृषि यंत्र का क्रय करने के संबंध में।

महाशय,

मैं/हम निम्नलिखित ..... कृषक/कृषक समूह, ग्राम .....  
.....पो० ..... प्रखण्ड ..... जिला :  
सरायकेला-खरसावाँ के निवासी हैं। मैं/हम सभी ..... जाति के पुरुष/महिला कृषक हूँ/हैं।  
मैं/हम सभी ..... कृषि यंत्र क्रय करने के इच्छुक हैं। मेरे/हमारे .....  
कृषक/कृषक समूह के पास कृषि योग्य कुल ..... एकड़ भूमि उपलब्ध है।

अतः अनुरोध है कि अनुदानित दर पर ..... यंत्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

- क) कृषि यंत्र का नाम .....
- .....
- ख) आपूर्तिकर्ता का नाम .....
- .....
- ग) कृषि यंत्र का कुल मूल्य .....
- .....
- घ) अनुदान की राशि .....
- .....
- ङ) कृषक/कृषक समूह द्वारा देय राशि .....
- .....

क्र०	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	B.P.L.	जाति (ST/SC /OBC /GEN)	ग्राम	पंचायत	प्रखण्ड	कृषक का हस्ताक्षर
1								

2								
3								
4								
5								

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कृषक/कृषक समूह ..... जाति के पुरुष/महिला कृषक हैं तथा इन कृषक/कृषक समूह के पास कुल ..... एकड़ भूमि योग्य भूमि है तथा इनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किया जाता है। इनको ..... कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर देने की अनुशंसा की जाती है।

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी  
का हस्ताक्षर एवं मुहर

---

कृषक / कृषकों के समूह फोटोग्राफ

## अधिकार – पत्र

“राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)” वर्ष 2010–11 अन्तर्गत 50 प्रतिशत अधिकतम रू० ..... अनुदानित दर पर .....कृषि यंत्र क्रय करने हेतु हम पुरुष/ महिला कृषक समूह द्वारा अनुमण्डल सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, आत्मा, सरायकेला से अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा अनुदान के उपरान्त कृषक अंशदान की राशि जमा करने एवं .....कृषि यंत्र प्राप्त करने हेतु समूह के सदस्य श्री/श्रीमति ..... ग्राम ..... पो० ..... प्रखण्ड ..... जिला : सरायकेला-खरसावाँ को अधिकृत करता हूँ।

क्रमांक	कृषक का नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		

## अनुबंध – पत्र

- 1) यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ..... को श्री/श्रीमति .....  
आयु .....पति/पत्नी, श्री/श्रीमति .....  
ग्राम ..... पो० ..... थाना .....प्रखण्ड .....
- 2) अनुमण्डल सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, आत्मा, सरायकेला  
द्वितीय पक्ष .....झारखण्ड राज्य के सरायकेला जिला में राष्ट्रीय खाद्य  
सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर .....  
कृषि यंत्र वितरित करने की योजना है। लाभार्थी कृषक समूह प्रखण्ड .....के  
अन्तर्गत अनु०ज०जा० पुरुष/महिला कृषक है। कृषक समूह अनुदान पर उक्त कृषि यंत्र क्रय  
करने को इच्छुक है। यंत्र का कुल लागत .....रु०, अनुदान रु० .....  
..... है। शेष राशि लाभार्थी समूह द्वारा स्वयं आपूर्तिकर्ता को दिया जायेगा।
- 3) लाभार्थी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि के सापेक्ष .....  
कृषि यंत्र का उपयोग अपनी भूमि पर करेंगे एवं ..... कृषि यंत्र प्राप्ति की  
तिथि से इसे किसी अन्य को नहीं बेचेंगे। इस एकरारनामे के विपरीत दिशा में कार्य करते पाये  
जाने पर अनुमण्डल सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, आत्मा,  
सरायकेला को यह अधिकार होगा कि यह भुगतान की गई अनुदान की समस्त राशि ब्याज  
सहित एक मुस्त वसूल कर ले।
- 4) कृषक/कृषक प्रतिनिधि जिनके अधीन उक्त कृषि यंत्र रहेगा, वे कृषि यंत्र के रख-रखाव के  
जिम्मेदार होंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कृषि यंत्र सुरक्षित रहे।
- 5) कृषक/कृषक प्रतिनिधि उक्त कृषि यंत्र को समूह के अन्य कृषकों को भी कृषि कार्य हेतु  
उपलब्ध करेंगे।
- 6) उक्त कृषि यंत्र का उपयोग सिर्फ कृषि कार्य हेतु करना है।
- 7) संबंधित ग्रुप उक्त कृषि यंत्र के उपयोग हेतु आपसी सामंजस्य के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित  
करेंगे ताकि सभी सदस्य समय पर उसका उपयोग कर सकें।

कृषक/कृषक समूह के अध्यक्ष का हस्ताक्षर (नाम एवं पता)

.....  
.....  
.....

**साक्षी :- पूरा नाम एवं पता**

1 .....

पदाधिकारी सह

सरायकेला

अनु० सह प्र० जिला कृषि

परियोजना निदेशक, आत्मा

2 .....

.....

का हस्ताक्षर

## अनुदान स्वीकृति आदेश

मैं ..... पिता/पति .....

ग्राम .....पो० ..... प्रखण्ड ..... जिला : सरायकेला-खरसावाँ  
का एक स्थाई कृषक हूँ। मुझे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर  
..... कृषि यंत्र क्रय करने के लिए चयन किया गया है। मैं अपने स्वेच्छा से  
मेसर्स .....के यहाँ से 50 प्रतिशत अनुदान पर क्रय करना चाहता हूँ।  
मैं यह भी एकरारनामा करता हूँ कि उक्त कृषि यंत्र क्रय की तिथि के बाद मेरे पास उपलब्ध नहीं पाये  
जाने पर अथवा उसका दुरुपयोग करने पर सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि को वापस करने की  
जवाबदेही मेरी होगी।

कृषक का हस्ताक्षर

श्री ..... पिता/पति .....

ग्राम ..... पो० ..... प्रखण्ड ..... जिला  
सरायकेला-खरसावाँ का रहने वाला है। उनका अपना जमीन है और वह मेहनती किसान है। इनका चयन  
कृषि यंत्र लेने हेतु किया गया है। उन्हें अनुदान पर ..... कृषि यंत्र देने हेतु  
कृषक का हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करते हुए अनुशंसा किया जाता है।

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी  
का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी ..... की अनुशंसा  
पर श्री ..... पिता/पति .....

ग्राम .....पो० ..... प्रखण्ड .....

जिला : सरायकेला-खरसावाँ को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) 50 प्रतिशत अनुदान पर देने के  
लिए अनुमति प्रदान की जाती है तथा ..... का अनुदान राशि आपूर्तिकर्ता  
को भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

अनुमण्डल सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी  
सह परियोजना निदेशक, आत्मा सरायकेला